प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 22 अगस्त, 2014**

विषय:- **वर्ष- 2014 के कामनवेल्थ गेम्स एवं एशियन गेम्स में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष- 2014 के कामनवेल्थ गेम्स एवं एशियन गेम्स में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाडियों को पुरस्कार स्वरूप निम्नानुसार धनराशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैं :-

एकल खेल			टीम खेल (प्रति खिलाडी)		
स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
रू0 50.00 लाख	रू0 30.00 लाख	रू0 15.00 लाख	रू0 30.00 लाख	रू0 15.00 लाख	रू0 10.00 लाख

2- इसके अतिरिक्त उक्त प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी को एक प्रशस्ति-पत्र व मेडल दिया जायेगा।

3- पूर्ववर्ती प्रस्तर- 1 के अनुसार अनुमन्य पुरस्कार देने के लिए उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी उस व्यक्ति को माना जायेगा :-

(1)- जो उत्तर प्रदेश का वास्तविक मूल निवासी (बोनाफाइड डोमीसाइल) है।

(2)- जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अथवा स्पोर्टस हास्टल का कम से कम दो वर्ष तक छात्र रहा/रह चुका हों।

(3)- जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था की तरफ से अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग ले चुका हों।

अथवा

जो उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त क्रीड़ा संघ/स्पोर्टस बोर्ड द्वारा नामित होकर राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुका हों।

4- किसी भी खिलाड़ी को उसके द्वारा एक से अधिक पदक प्राप्त करने की दशा में सबसे बड़े केवल एक पदक के अनुरूप उक्त पुरस्कार अनुमन्य होगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उपर्युक्त मद में होने वाला व्यय अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-आयोजनेत्तर-104-खेलकूद-13-राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाडियों को पुरस्कार-20-सहायता अनुदान/अंशदान/राज सहायता " के नामे डाला जायेगा।

6- यहा आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई- 5-985/दस-2014, दिनांक : 22 अगस्त, 2014 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या- 2131(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
3- गोपन अनुभाग- 1
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in